[2020] 1 एस. सी. आर. 512

सुखविंदर सिंह

वी.

जगरूप सिंह और एएनआर।

(2020 की सिविल अपील संख्या 760)

28 जनवरी, 2020

[आर. भानुमति और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 - एस. 20-डी. टी. डी. में बिक्री का समझौता। 03.01.04 प्रतिवादी सं. द्वारा निष्पादित। 1 (प्रत्यर्थी सं. 2) भूमि बेचने के लिए वादी (प्रत्यर्थी सं. 1) के पक्ष में-वादी ने विशिष्ट प्रदर्शन के माध्यम से कब्जे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि भूमि को रुपये में बेचने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। 04 प्रतिवादी सं. द्वारा निष्पादित। 1 के पक्ष में

प्रतिवादी नं. 2 - अपीलार्थी (संपत्ति का खरीदार) और वैकल्पिक रूप से बकाया धन और हर्जाने की वापसी की मांग की-निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया-प्रतिवादी नं। 2 एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने और मुकदमे को वापस लेने के लिए याचिका दायर की-खारिज -

समझौते का गवाह जिसने समझौते के निष्पादन के संबंध में कहा, शेष बिक्री विचार का भुगतान करने के लिए संसाधनों के संबंध में तैयारी और इच्छा को साबित करने के लिए सबूत अपर्याप्त है-वादी किसी भी स्थिति में डिक्री का हकदार नहीं था प्रतिवादी नं. के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन और कब्जा। 1

इसके अलावा, उस प्रतिवादी को न. 2 सही खरीदार है, यह उस प्रतिवादी की दृष्टि से नहीं खोया जा सकता है। 1 वादी से अब तक <ID1,500/प्राप्त किया गया था और यदि लेन-देन समाप्त हो गया होता, तो वादी भूमि के लाभ का हकदार होता-बाजार मूल्य में काफी वृद्धि हुई है, हालांकि सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त अग्रिम की वापसी और संपत्ति से इनकार करने के लिए मुआवजे का भुगतान प्रतिवादी नं। 1 , हालाँकि प्रतिवादी नं। 1 संपत्ति में ब्याज खोने के बाद तत्काल कार्यवाही में दिखाई नहीं दिया है और न ही यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री है कि उसे मूल्यांकन से लाभ हुआ है क्योंकि वादी के अनुसार भी उसने संपत्ति को एक रुपये में बेच दिया था।

512 सुखविंदर सिंह बनाम। जगरूप सिंह और एएनआर।

कम कीमत-तत्काल मामले के विशिष्ट तथ्यों में, प्रतिवादी नं। 2 जिसने संपत्ति से लाभ उठाया है, उसे अग्रिम भुगतान करना होगा और वादी को क्षतिपूर्ति करनी होगी-निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विशिष्ट निष्पादन की राहत देने वाले आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-अपीलार्थी को केवल तीन महीने के भीतर वादी को रु. 9 , आर. 13 और एस. 115 सीमा अधिनियम, 1963 - एस. 5.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 सूट विशिष्ट प्रदर्शन के लिए है

शेष बिक्री पर विचार के भुगतान पर अनुबंध की तैयारी और इच्छा को वादी द्वारा साबित करने की आवश्यकता थी और इसे नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा एक बुनियादी समझौते के रूप में माना जाना था।

समझौता, शेष बिक्री विचार का भुगतान करने के लिए संसाधनों के संबंध में तैयारी और इच्छा को साबित करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अस्वीकार किए जाने के अभाव में, भले ही <ID1,500/- का भुगतान और वादी द्वारा <ID2 पर उप-पंजीयक के कार्यालय जाने का दावा स्वीकार कर लिया गया हो, यह तथ्य कि क्या वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को शेष बिक्री पर विचार करने के लिए तैयार होने के बारे में सूचित किया था और वादी को उप-पंजीयक के समक्ष उपस्थित होने और बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए कहा था, यह साबित करने की आवश्यकता थी। प्रस्तुत और प्रदर्शनी पी1 से पी9 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों में से उस प्रभाव का कोई दस्तावेज नहीं है, विशेष रूप से शेष बिक्री की उपलब्धता का संकेत देने के लिए। 15.06.2004 पर और मुकदमा दायर करने की तारीख पर विचार करें। इसके बावजूद, केवल पीडब्लू1 की मौखिक गवाही के आधार पर, नीचे दिए गए न्यायालयों ने वादी द्वारा प्रस्तुत मामले को लेन-देन को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक होने के लिए स्वीकार कर लिया है। उस पहलू पर एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय, निचली अदालत ने मुद्दों संख्या 1 और 2 का जवाब देते हुए निष्कर्ष निकाला है कि बिक्री पर विचार की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और यह तथ्य कि वादी द्वारा दीवानी मुकदमा दायर किया गया है, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि वादी तैयार रहा और [2020] 1 एस. सी. आर.

अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि मुकदमा दायर करने की तारीख तक जो भुगतान किया गया था, वह केवल बकाया राशि थी और शेष राशि केवल 14.06.2007 पर पहली बार में मुकदमा तय होने के बाद 03.08.2007 पर जमा की गई थी, न कि मुकदमा दायर करने की तारीख पर। अतः तीनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष पर पहुँचा गया है -

उचित विचार की आवश्यकता है। हालाँकि, नीचे दिए गए न्यायालयों ने इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 एक ही गाँव के होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 2 के पास होगा वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए समझौते की जानकारी। इस तरह का निष्कर्ष केवल एक धारणा है और ज्ञान के संबंध में कोई सबूत नहीं है

प्रतिवादी संख्या 2 भले ही वह उसी गाँव का हो। [पारस 9-11] [519-D-H; 520-A-G]

1.2 उपरोक्त विचार की पृष्ठभूमि में, वादी किसी भी स्थिति में विशिष्ट मामलों के लिए डिक्री का हकदार नहीं था।

प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ संपत्ति का प्रदर्शन और कब्जा। यह अभिनिर्धारित करने के बावजूद कि प्रतिवादी संख्या 2 एक वास्तविक खरीदार है, जिस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी से Rs.69,500/- की राशि प्राप्त हुई थी। कि इसके अलावा यदि लेन-देन उस स्तर पर संपन्न हुआ होता तो वादी इसके लाभ का हकदार होता

भूमि। यहां तक कि इस अपील में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उठाए गए (पैरा x) के आधार के अनुसार, यह इंगित करेगा कि

बाजार मूल्य में काफी वृद्धि। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त अग्रिम की वापसी और संपत्ति से इनकार करने के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाना था प्रतिवादी संख्या 1, जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 संपत्ति में रुचि खोने के कारण तत्काल कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है और न ही सुखविंदर सिंह बनाम।

जगरूप सिंह और एएनआर।

क्या यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री है कि उसे मूल्यांकन से लाभ हुआ है क्योंकि वादी के तर्क के अनुसार भी उसने संपत्ति को कम कीमत पर बेच दिया है। यदि यह स्थिति है, तो प्रतिवादी संख्या 2, जिसे संपत्ति से लाभ हुआ है, को अग्रिम भुगतान करना होगा और वादी को विशेष रूप से क्षतिपूर्ति करनी होगी। तत्काल मामले के तथ्य। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित क्रमः i) मामले में पारित 24.07.2015 दिनांकित निर्णय और डिक्री

16.11.2004/17.04.2015 की सं. 915 और निचली अपीलीय अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है कि विशिष्ट प्रदर्शन की राहत देने की सीमा को दरकिनार कर दिया गया है। ii) मामला संख्या 915 में दिनांकित 17.04.2015 का निर्णय और डिक्री संशोधित होगी, और अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 को केवल तीन महीने के भीतर वादी को रु. 3,50,000/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। iii) यदि राशि का भुगतान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसके बाद उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा। (iv) वादी, अधिग्रहीत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष जमा की गई Rs.70,500/- की राशि को वापस लेने का हकदार होगा।

[पैरा 12,13] [521-बी-एफ; 522-ए-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 760

2020 . 2016 के आर. एस. ए. सं. 5240 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 02.07.2018 के निर्णय और आदेश से।

राहुल गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

रजनीश कुमार झा, महेंद्र कुमार, इलिन सारस्वत, सुश्री स्वाति जैन, सुश्री नेहा जैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. इसमें अपीलार्थी 16.11.2004/17.04.2015 के मामले No.915 में प्रतिवादी संख्या 2 था। एतऽ प्रतिवादी नं. 1 मुक़दमेमे वादी छल। इसमें प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 था। सुविधा और स्पष्टता के उद्देश्य से पक्षकारों को मुक़दमे में उन्हें सौंपे गए पद पर भेजा जाएगा। वादी ने 3 कनाल 4 [2020] 1 एस. सी. आर. मापने वाली भूमि को बेचने के लिए सहमत वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित बिक्री समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के माध्यम से कब्जे की डिक्री की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मार्लास में खेवात No.36/35 खतौनी No.91, रेक्ट शामिल थे। No.63 किला नंबर 2/2 (3-4), गांव दुल्ला सिंह वाला, तहसील और जिला फिरोजपुर में स्थित है।

3. वादी का मामला यह था कि संपत्ति पर सहमति हो गई थी

रुपये के कुल विचार के लिए बेचा जाएगा। 1,40,000 / - . उक्त राशि के लिए वादी ने बकाया राशि के रूप में <ID1,500/- की राशि का भुगतान किया था। वादी ने मुकदमे में आगे प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को रद्द करने का अनुरोध किया था क्योंकि वादी के अनुसार यह अमान्य था और वादी को बाध्य नहीं करता था। वैकल्पिक रूप से, वादी ने रुपये की राशि की वसूली के लिए एक डिक्री की मांग की थी।

Rs.69,500/- को बकाया राशि के रूप में भुगतान किया गया था जबकि Rs.70,500/- की शेष राशि को हर्जाने के रूप में मांगा गया था। पहली बार में प्रतिवादी पेश होने और मुकदमे का विरोध करने में विफल रहे थे। तदनुसार, निचली अदालत ने अपने दिनांक 14.06.2007 के फैसले से मुकदमे का फैसला सुनाया था।

4. हालाँकि प्रतिवादी संख्या 1 ने इसके बाद कोई शिकायत नहीं की, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 जो संपत्ति का खरीदार था

विविध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक याचिका दायर की गई। 23.02.2011 का आवेदन No.46 मांग करता है कि एकतरफा डिक्री को अलग कर दिया जाए और मुकदमे को विचार के लिए बहाल किया जाए। चूंकि उक्त याचिका देरी से दायर की गई थी, इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें देरी को माफ करने की मांग की गई थी। निचली अदालत ने अपने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत याचिका को भी सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज कर दिया गया। पीड़ित होने का दावा करने वाले प्रतिवादी संख्या 2 ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल संशोधन No.5332/2012 (O & M) को प्राथमिकता दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत दायर उक्त संशोधन याचिका में, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले से सहमति व्यक्त की थी और अपने दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से संशोधन याचिका को खारिज कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने सिविल अपील No.1406/2015 में इस न्यायालय के समक्ष ऐसा ही किया था। इस न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2, जो उक्त दीवानी अपील में अपीलकर्ता था, को मुकदमे को लड़ने का अवसर प्रदान किया जाना है, दिनांक 1 के आदेश द्वारा अपील को अनुमति दी थी, बशर्ते कि लागत के रूप में रु. 2/- का भुगतान किया जाए। मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति भी दी गई थी। इसके अनुसार प्रतिवादी सं. 2 ने सुखविंदर सिंह सं. को भुगतान किया।

जगरूप सिंह और एएनआर।

[ए. एस. बोपन्ना, जे.]

धारा 20 के तहत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन विशिष्ट राहत अधिनियम। यह भी उनका तर्क है कि हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 ने मुकदमे का विरोध नहीं किया है, लेकिन वादी पर अपने मामले को स्थापित करने का दायित्व था जो तैयारी और इच्छा को साबित करके प्रभावी ढंग से नहीं किया गया है। विद्वान वकील का तर्क होगा कि हालांकि तीनों न्यायालयों ने प्रतिवादियों के खिलाफ निर्णय दिया है, प्रासंगिक तथ्यों पर विचार न करना उनके द्वारा की गई समवर्ती त्रुटि के बराबर होगा।

अदालतें। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाए और दिनांक 11.06.2004 के बिक्री विलेख के तहत प्रतिवादी संख्या 2 को अर्जित अधिकार की रक्षा की जाए।

6. श्री महेन्द्र कुमार, वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील, नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यह तर्क दिया जाता है कि तीनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से निर्णय दिया है।

प्रतिवादियों के खिलाफ और उसी का प्रत्यावर्तन वारंट नहीं है। यह उसका मामला है कि वादी ने बिक्री का समझौता किया था और Rs.69,500/- के आंशिक बिक्री विचार का भी भुगतान किया था।

0] 1 एस. सी. आर. में मुकदमा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहली बार 14.06.2007 पर फैसला सुनाया गया था और वादी ने इसके अनुसार किया था

डिक्री में Rs.70,500/- का शेष बिक्री विचार 03.08.2007 पर जमा किया गया। विद्वान वकील का तर्क है कि हालांकि बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख 15.06.2004 के रूप में निर्धारित की गई थी, लेकिन बिक्री विलेख को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में 11.06.2004 पर निष्पादित किया गया था ताकि वादी के अधिकार को विफल किया जा सके। यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी ने उस संबंध में एक-दूसरे के साथ सांठगांठ की थी और इसलिए, इसे एक वास्तविक लेनदेन के रूप में नहीं माना जा सकता है। विद्वान वकील आगे तर्क देते हैं कि हालांकि एक वैकल्पिक प्रार्थना की गई थी

दिनांकित 03.01.2004 समझौते के माध्यम से अनुसूचित संपत्ति का मुकदमा करें और वादी ने उक्त तिथि पर Rs.50,000/- की राशि और 29.02.2004 पर Rs.19,500/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया था। इस प्रकार, कुल मिलाकर Rs.69,500/की राशि का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया गया था। बिक्री विलेख के निष्पादन की तिथि 15.06.2004 के रूप में निर्धारित किया गया था जिस तारीख को Rs.70,500/- के शेष बिक्री विचार का भुगतान किया जाना था। वादी ने तर्क दिया कि वह लेन-देन को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था और इस तरह 15.06.2004 पर

अर्थात् निर्धारित तिथि पर, वादी शेष बिक्री पर विचार और अन्य खर्चों के साथ उप-पंजीयक के कार्यालय में उपस्थित हुआ। के अनुसार

वादी प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ लेकिन वादी को उसकी उपस्थिति मिल गई

एक अनुप्रयोग को स्थानांतरित करके चिह्नित किया गया। बाद में ही वादी को पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ने मुकदमे के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दिनांकित 11.06.2004 का एक बिक्री विलेख निष्पादित किया था।

संपत्ति। यह उस प्रकाश में है कि वादी ने आगे राहत मांगी थी जैसा कि उल्लेख किया गया है। ऊपर।

8. प्रतिवादी संख्या 2 जिसने दिए गए अवसर का लाभ उठाया था

इस न्यायालय द्वारा और लागत के भुगतान पर दायर लिखित बयान ने बेचने के समझौते के निष्पादन और बकाया राशि की प्राप्ति से इनकार कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांकित बिक्री विलेख पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि संपत्ति खरीदने के बाद उसके कब्जे में है और उसी का आनंद ले रहा है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 ने मुकदमे को खारिज करने की मांग की। निचली अदालत ने दलीलों के आधार पर अपने विचार के लिए सात मुद्दों को तैयार किया। वादी ने खुद को पीडब्लू1 और सुखविंदर सिंह बनाम के रूप में जांच की।

जगरूप सिंह और एएनआर।

[ए. एस. बोपन्ना, जे.]

ट्रायल कोर्ट। हालांकि उच्च न्यायालय दूसरी अपील की जांच कर रहा था, जहां साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन के लिए सीमित गुंजाइश उपलब्ध है, यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने बुनियादी पर भी ध्यान नहीं दिया है। अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यकताएँ। जो भी हो, यह देखते हुए कि विचाराधीन मुकदमा विशिष्ट निष्पादन के लिए दायर किया गया था,

विचारण न्यायालय द्वारा किए गए और निम्न अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित उस प्रभाव पर विचार पर संचयी रूप से ध्यान देना होगा।

9. बकाया बिक्री पर विचार के भुगतान पर अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा, तैयारी और

वादी द्वारा इच्छा को साबित करने की आवश्यकता थी और यदि विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री दी जानी है तो नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा इसे एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में माना जाना था। तत्काल मामले में हालांकि प्रतिवादी संख्या 2 ने समझौते के साथ-साथ रसीद से भी इनकार कर दिया था बयाना धन, उसी का परिणाम नहीं होगा क्योंकि वादी द्वारा दावा किया गया समझौता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ है और प्रतिवादी संख्या 2 का इनकार करने का तर्क व्यक्तिगत जानकारी के बिना है।

और पी. डब्ल्यू. 3, दस्तावेज़ लेखक, और समझौते के गवाह, जिन्होंने समझौते के निष्पादन के संबंध में कहा, शेष बिक्री विचार का भुगतान करने के लिए संसाधनों के संबंध में तत्परता और इच्छा को साबित करने के लिए सबूत अपर्याप्त हैं। अस्वीकृति के अभाव में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा, भले ही <ID1,500/- का भुगतान और वादी द्वारा <ID2 पर उप-पंजीयक के कार्यालय जाने का दावा स्वीकार किया जाता है, यह तथ्य कि क्या वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को शेष बिक्री पर विचार करने के लिए तैयार होने और वादी को उप-पंजीयक के समक्ष उपस्थित होने और बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए कहने के बारे में सूचित किया था, साबित करने की आवश्यकता थी। प्रस्तुत और प्रदर्शनी पी1 से पी9 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों में से उस प्रभाव का कोई दस्तावेज नहीं है, विशेष रूप से शेष बिक्री [2020] 1 एस. सी. आर. की उपलब्धता का संकेत देने के लिए।

15.06.2004 पर और मुकदमा दायर करने की तारीख पर विचार करें।

इसके बावजूद, केवल पीडब्लू1 की मौखिक गवाही के आधार पर, नीचे दिए गए न्यायालयों ने वादी द्वारा प्रस्तुत मामले को लेन-देन को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक होने के लिए स्वीकार कर लिया है।

10. उस पहलू पर एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय, निचली अदालत ने मुद्दों संख्या 1 और 2 का जवाब देते हुए निष्कर्ष निकाला है। कि बिक्री प्रतिफल की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और यह तथ्य कि वादी द्वारा दीवानी मुकदमा दायर किया गया है, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक रहा है। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि मुकदमा दायर करने की तारीख तक जो भुगतान किया गया था, वह केवल बकाया राशि थी और शेष राशि केवल 14.06.2007 पर पहली बार में मुकदमा तय होने के बाद 03.08.2007 पर जमा की गई थी, न कि मुकदमा दायर करने की तारीख पर। इसलिए तीनों न्यायालयों द्वारा पहुँचा गया समवर्ती निष्कर्ष एक स्पष्ट त्रुटि है, जिसमें सुधार आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहाली के बाद दूसरी बार निर्णय की तारीख को, राशि जमा की गई थी जो मुकदमा दायर करने से पहले या समय पर जमा या भुगतान करने के समान नहीं है। भले ही मुकदमा दायर करने की तारीख को राशि जमा की गई हो, लेकिन 15.06.2004 पर बिक्री पर विचार करने की तैयारी और इच्छा को साबित करना आवश्यक था, जो अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए, हमारी राय में नीचे दिए गए न्यायालयों ने मामले के इस पहलू पर उचित रूप से विचार नहीं किया है।

नं. 1 और प्रतिवादी नं. 2, उस पहलू पर उचित विचार की आवश्यकता थी। हालाँकि, नीचे दिए गए न्यायालयों ने इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 एक ही गाँव के होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 2 को वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए समझौते की जानकारी होगी। इस तरह का निष्कर्ष केवल एक धारणा है और प्रतिवादी संख्या 2 के ज्ञान के संबंध में कोई सबूत नहीं है, भले ही वह उसी गाँव का हो। इसके अलावा, निचली अपीलीय अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उपस्थिति नहीं दी है और वह नहीं एक गवाह के रूप में जाँच किए जाने पर यह पता लगाया जा सकता है कि वादी के अधिकारों को विफल करने के लिए प्रतिवादियों के बीच मिलीभगत है।

ऐसे सुखविंदर सिंह वी। जगरूप सिंह और एएनआर।

[ए. एस. बोपन्ना, जे.]

यह धारणा भी उचित नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने एक पंजीकृत दस्तावेज के तहत विचार के लिए संपत्ति खरीदी थी और प्रतिवादी संख्या 2 को भी संपत्ति के कब्जे में रखा गया था। उस में

परिस्थिति प्रतिवादी संख्या 1, जिसने संपत्ति में रुचि खो दी थी, यदि उसने मुकदमे में उपस्थित होने और बचाव करने का विकल्प नहीं चुना था, तो उस आशय के साक्ष्य के अभाव में यह मिलीभगत का अनुमान नहीं हो सकता है।

12. उपरोक्त विचार की पृष्ठभूमि में, वादी किसी भी स्थिति में विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का हकदार नहीं था और

प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध संपत्ति का कब्जा। में

इस परिस्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित दिनांक 11.06.2004 के बिक्री विलेख की घोषणा भी उत्पन्न नहीं हुई, जिसमें वादी द्वारा किए गए दावे को अमान्य करार दिया गया था। उक्त स्थिति के बावजूद जिस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बिक्री 11.06.2004 पर थी, अर्थात दिनांकित 03.01.2004 के वाद समझौते की तारीख के बाद। यह अभिनिर्धारित करने के बावजूद कि प्रतिवादी संख्या 2 एक वास्तविक खरीदार है, जिस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह यह है कि

प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से Rs.69,500/- की राशि प्राप्त की थी 03.01.2004 पर बहुत पीछे। इसके अलावा यदि लेन-देन उस स्तर पर किया जाता तो वादी भूमि के लाभ का हकदार होता। यहां तक कि इस अपील में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उठाए गए (पैरा x) के आधार के अनुसार, यह इंगित करेगा कि काफी कुछ हुआ है।

मूल्यांकन से क्योंकि वादी के तर्क के अनुसार भी उसने संपत्ति को कम कीमत पर बेच दिया है। उस स्थिति में वादी को 'ऊँचा और सूखा' नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि यह स्थिति है तो प्रतिवादी संख्या 2 जिसे संपत्ति से लाभ हुआ है, उसे अग्रिम भुगतान करना होगा और तत्काल मामले के विशिष्ट तथ्यों में वादी को क्षतिपूर्ति करनी होगी। उस में इस परिस्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 (इसमें अपीलकर्ता) को केवल 500/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना आवश्यक है, जिसमें वादी (इसमें प्रतिवादी संख्या 1) को सभी दावों को पूरी तरह से छोड़ने के लिए 500/- रुपये की अग्रिम राशि शामिल है। उक्त राशि का प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी को तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान करने का भी निर्देश दिया जाना है, जिसमें विफल रहने पर भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देना होगा। वादी को यू. पी. आर. ई. एम. कोर्ट रिपोर्ट की राशि निकालने का भी अधिकार होना चाहिए।

0 / - कहा जाता है कि उसे पहले जमा किया गया था

उपरोक्त का दृश्य, निम्नलिखित क्रमः

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है। फैसला अ.

16 के मामले संख्या 915 में पारित दिनांक 24.07.2015। 17.04.2015 और निचली अपील द्वारा भी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई कि

विशिष्ट प्रदर्शन को अलग रखा जाता है।

सी 915 में 17.04.2015 दिनांकित निर्णय और डिक्री संशोधित होगी, और अपीलार्थी नंबर 2 को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

तीन महीने के भीतर वादी।

यदि निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके बाद 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा।

ओ वादी ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमा में पड़े एआर Rs.70,500/- को वापस लेने का हकदार होगा।

अर्जित ब्याज, यदि कोई हो।

तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकारों को

अपने खर्च।

आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील भाग